

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

!! कार्यालय आदेश !!

संख्या-4/प्रो0-04-101/2012-

पटना-15, दिनांक-

बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम- 2 के प्रावधान के तहत सामान्य प्रशासन विभाग एवं अधीनस्थ प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय/आयोग के नियमित स्थापना में कार्यरत कार्यालय परिचारियों में से निम्नांकित इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण कार्यालय परिचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के नियम 4 (5) में प्रावधानित सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना 19332 दिनांक- 14.10.2023 द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में आदेश निर्गमन की तिथि से तदर्थ एवं अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्न वर्गीय लिपिक (वेतन स्तर- 2, अपुनरीक्षित बैण्ड वेतन 5200-20200+ग्रेड पे 1900) के पद पर कार्यकारी प्रभार देते हुए उनके नाम के सामने स्तंभ- 4 में अंकित विभाग/कार्यालय/आयोग में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है :-

क्रं0	नाम एवं वरीयता क्रं0	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापित स्थान
1	2	3	4
1	मो0 अनजारुल, वरीयता क्रं0- 25	आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, बिहार	आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, बिहार
2	श्री प्रेम कुमार वरीयता क्रं0- 30	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

2. उच्चतर पद के साथ विहित वेतनमान का आर्थिक लाभ निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा।

3. कार्यकारी प्रभार की यह व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील संख्या- 4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त पर प्रदान की जाती है।

ह0/-

(शिव महादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-4/प्रो0-04-101/2012-.....पटना-15, दिनांक-16-10-23,

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, आयुक्त कार्यालय तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/लेखा शाखा, सामान्य प्रशासन विभाग को दो प्रति में/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।